<u>न्यायालय ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०), कुशीनगर, स्थान–पडरौना</u>।

सरकार बनाम गजेन्द्र सिंह आदि

मुकदमा संख्या– 8356/2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3436/2026

<u>11.08.2026</u>

मु०अ०सं०–518/2025, धारा– 115(2), 352, 351(3), 125, 324(4) बी०एन०एस०, थाना– कप्तानगंज, जनपद– कुशीनगर के मामले में अभियुक्तगण **गजेन्द्र सिंह व रमावती देवी** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वे निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनको फर्जी रूप से फसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं। मामले में आरोप पत्र दाखिल है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० **बीस** हजार रूपये की **एक** जमानत एवं इतने ही धनराशि के निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

ए०सी०जे०एम०/सिविल जज(सी०डि०),

कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by PRABHAT SINGH
Date: 2026.08.11 04:59:12 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court